सप्तदश बिहार विधान सभा

चतुर्दश सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या–13 वृहस्पतिवार, दिनांक–20 मार्च, 2025 ई०।

माननीय अध्यक्ष, श्री नन्द किशोर यादव की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई।

समय : 11.00 बजे पूर्वा० से 12:48 बजे अप० तक

[1] प्रश्नकाल :–

(i) 01 अल्पसूचित प्रश्न उत्तरित।
(ii) 17 तारांकित प्रश्न उत्तरित।
(iii) 09 तारांकित प्रश्न अपृष्ठ।
(iv) 93 तारांकित प्रश्न अनागत।

तारांकित प्रश्न संख्या–1664 सामान्य प्रशान विभाग में स्थानांतरित।

तारांकित प्रश्न संख्या–1663 के दौरान सरकार के उत्तर से असंतुष्ट होकर विपक्ष के कतिपय माननीय सदस्यगण शोरगुल करते हुए वेल में आ गए। आसन द्वारा विपक्ष के माननीय सदस्यों से अपने अपने स्थान पर जाने का अनुरोध किया गया। परन्तु विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन से बर्हिगमन कर गए।

तत्पश्चात् विपक्ष के कतिपय माननीय सदस्यों का सदन में पुनरागमन हुआ।

[2] सभा मेज पर कागजात का रखा जाना :–

(i) बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्री प्रेम कुमार द्वारा बिहार अग्निशमन अधिनियम, 2014 की धारा–64 के तहत बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 एवं बिहार अग्निशमन सेवा (संशोधन), 2022 की एक–एक प्रति को सदन पटल पर रखा गया। यह 14 (चौदह) दिनों तक सदन पटल पर रहेगी।

(ii) बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्री प्रेम कुमार द्वारा बिहार अभिलेखीय संवर्ग नियमावली, 2012; बिहार राज्य अभिलेखागार रेप्रोग्राफिस्ट (नियुक्ति एवं सेवाशर्त्त) नियमावली, 2014; बिहार राज्य अभिलेखागार समूह 'ख' (नियुक्ति एवं सेवाशर्त्त) नियमावली, 2014; बिहार राज्य अभिलेखागार समूह 'ग' (नियुक्ति एवं सेवाशर्त्त) नियमावली, 2014; बिहार राज्य अभिलेखागार अभिलेख निदेशक (नियुक्ति एवं सेवाशर्त्त) नियमावली, 2015; एवं बिहार राज्य अभिलेखागार अभिलेखवाह/अभिलेख लिपिक (नियुक्ति एवं सेवाशर्त्त) नियमावली, 2015; की एक–एक प्रति को सदन पटल पर रखा गया।

(iii) विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री श्री सुमित कुमार सिंह द्वारा बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा (संशोधन) नियमावली, 2022; राजकीय अभियंत्रण एवं राजकीय पोलिटेकनिक संस्थान प्रयोगशाला सहायक (तकनीकी) नियमावली, 2023 एवं राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय एवं राजकीय पोलिटेकनिक संस्थान, प्रयोगशाला सहायक (विज्ञान) संवर्ग नियमावली, 2023 की एक–एक प्रति को सदन पटल पर रखा गया।

(iv) नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रभारी मंत्री श्री जिवेश कुमार द्वारा बिहार नगरपालिका सेवा नियमावली, 2021 की प्रति को सदन पटल पर रखा जाना।

(v) माननीय सभापति, प्रत्यायुक्त विधान समिति, श्री अजीत शर्मा द्वारा प्रत्यायुक्त विधान समिति का समाज कल्याण विभाग एवं गृह विभाग से संबंधित नवम् प्रतिवेदन की एक प्रति को सदन पटल पर रखा गया।

[3] <u>कार्य स्थगन प्रस्ताव</u> :–

आज सदन में तीन कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना निम्न सभासदों से प्राप्त हुई :–

(i) माननीय सदस्य, श्री महा नंद सिंह, श्री सत्यदेव राम, श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता, श्री शिवप्रकाश रंजन, श्री राम विशुन सिंह, श्री गोपल रविदास, श्री छत्रपति यादव, श्री अरूण सिंह, श्री बीरेन्द्र कुमार, श्री रामबली सिंह यादव, श्री अजीत कुमार सिंह, श्री अमरजीत कुशवाहा, श्री सुर्यकान्त पासवान एवं श्री संदीप सौरभ द्वारा दिया गया कार्य स्थगन प्रस्ताव नियमानुकूल नहीं रहने के कारण आसन द्वारा इसे अमान्य करने की घोषणा की गयी। परन्तु आसन की अनुमति से माननीय सदस्य श्री महा नंद सिंह द्वारा अपने कार्य स्थगन प्रस्ताव को पढ़ा गया।

(ii) माननीय सदस्य, श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन, श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव, श्री समीर कुमार महासेठ, श्री मुकेश कुमार रौशन, श्री सउद आलम, श्री मुकेश कुमार यादव, श्रीमती मंजु अग्रवाल, डॉ० रामानुज प्रसाद, श्री भूदेव चौधरी, श्रीमती रेखा देवी, श्री रणविजय साहू, श्री चन्द्रहास चौपाल एवं श्री मुहम्मद इजहार असफी द्वारा दिया गया कार्य स्थगन प्रस्ताव नियमानुकूल नहीं रहने के कारण आसन द्वारा इसे अमान्य करने की घोषणा की गयी। परन्तु आसन की अनुमति से माननीय सदस्य श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन द्वारा अपने कार्य स्थगन प्रस्ताव को पढ़ा गया।

(iii) माननीय सदस्य, श्री अजीत शर्मा द्वारा दिया गया कार्य स्थगन प्रस्ताव नियमानुकूल नहीं रहने के कारण आसन द्वारा इसे अमान्य करने की घोषणा की गयी। परन्तु आसन की अनुमति से माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा द्वारा अपने कार्य स्थगन प्रस्ताव को पढ़ा गया।

[4] <u>शून्यकाल</u> :–

शून्यकाल की सूचना के अन्तर्गत निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा राज्य की विभिन्न समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया :–

(i) श्रीमती गायत्री देवी
(ii) श्री अशोक कुमार सिंह
(iii) श्री राम सिंह
(iv) श्री प्रणव कुमार
(v) श्री राणा रणधीर
(vi) श्री प्रमोद कुमार
(vii) श्री अरूण कुमार सिंह
(viii) श्री इजहारूल हुसैन
(ix) श्री पवन कुमार जायसवाल
(x) श्री अरूण शंकर प्रसाद
(xi) श्री बीरेन्द्र कुमार
(xii) श्री समीर कुमार महासेठ
(xiii) श्री ललन कुमार
(xiv) श्री मुहम्मद इजहार असफी
(xv) सुश्री श्रेयसी सिंह
(xvi) श्री ललित नारायण मंडल
(xvii) श्री प्रमोद कुमार सिन्हा
(xviii) श्री उमाकान्त सिंह
(xix) श्री कुंदन कुमार
(xx) श्री सुर्यकान्त पासवान
(xxi) श्री श्याम बाबु प्रसाद यादव
(xxii) श्री रणविजय साहू
(xxiii) श्री जय प्रकाश यादव
(xxiv) श्री विद्या सागर केशरी

(xxv) श्री मुकेश कुमार यादव
(xxvi) श्रीमती भागीरथी देवी
(xxvii) श्री अरूण सिंह
(xxviii) श्रीमती कविता देवी
(xxix) श्रीमती निशा सिंह
(xxx) श्री मोहम्मद अनजार नईमी
(xxxi) श्री अनिल कुमार
(xxxii) श्री सउद आलम
(xxxiii) श्रीमती ज्योति देवी
(xxxiv) श्री अजीत कुमार सिंह
(xxxv) श्रीमती रश्मि वर्मा
(xxxvi) श्री अमरजीत कुशवाहा
(xxxvii) श्री महा नंद सिंह
(xxxviii) श्री राम रतन सिंह
(xxxix) श्री गोपाल रविदास
(xl) श्री विनय बिहारी
(xli) श्री भूदेव चौधरी
(xlii) श्री संदीप सौरभ
(xliii) श्री मुरारी मोहन झा
(xliv) श्री चन्द्रहास चौपाल
(xlv) श्री पवन कुमार यादव
(xlvi) श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता
(xlvii) श्री रामबली सिंह यादव
(xlviii) श्रीमती प्रतिमा कुमारी
(xlix) श्री भरत बिन्द
(l) श्री शिव प्रकाश रंजन
(li) श्रीमती नीतु कुमारी
(lii) श्री विजय कुमार
(liii) डॉ० रामानुज प्रसाद
(liv) श्रीमती रेखा देवी
(lv) श्री छत्रपति यादव
(lvi) श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी
(lvii) श्री अचमित ऋषिदेव
(lviii) श्री राम विशुन सिंह
(lix) श्री शमीम अहमद
(lx) श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव
(lxi) श्री विजय कुमार खेमका
(lxii) श्री मुकेश कुमार रौशन
(lxiii) डॉ० निक्की हेम्ब्रम
(lxiv) श्री कुमार शैलेन्द्र

[5] <u>आसन का निदेशः</u>–

माननीय सदस्य श्री इजहारूल हुसैन द्वारा अपने शून्यकाल की सूचना पढ़ने के दौरान 'हरिजन' शब्द का प्रयोग किया गया जिस पर आसन द्वारा कहा गया कि 'हरिजन' शब्द अब संवैधानिक नहीं है एवं उस शब्द को संशोधित कर 'दलित' शब्द का प्रयोग करने का निदेश दिया गया।

[6] <u>ध्यानाकर्षण सूचनाएँ</u> :–

(i) माननीय सदस्य, डॉ० संजीव कुमार एवं अन्य सभासदों का सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य, डॉ० संजीव कुमार द्वारा पढ़ा गया एवं बिहार सरकार के माननीय मंत्री, श्री प्रेम कुमार द्वारा इसका उत्तर दिया गया।

(ii) माननीय सदस्य, श्री ललित कुमार यादव एवं अन्य सभासदों का नगर विकास एवं आवास विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य, श्री ललित कुमार यादव द्वारा पढ़ा गया एवं नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रभारी मंत्री श्री जिवेश कुमार द्वारा सूचित किया कि माननीय सदस्य की संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना अन्य विभाग को स्थानांतरित की गयी। तत्काल इसके उत्तर के लिए समय की मांग की गयी।

तत्पश्चात् सभा की बैठक भोजनावकाश तक के लिए स्थगित हुई।

<u>भोजनावकाश के बाद</u>

(02.00 बजे अपराह्न से 04:51 बजे अपराह्न तक)

[इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया]

[7] वित्तीय कार्य

वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांगों | खंड–08 (स्वास्थ्य विभाग; कृषि विभाग; समाज कल्याण विभाग; आपदा प्रबंधन विभाग तथा विधान मंडल) | पर वाद–विवाद एवं मतदान :–

माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, श्री मंगल पाण्डे द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 में सम्मिलित अनुदानों की मांगों में से स्वास्थ्य विभाग से संबंधित अनुदान की मांग को प्रस्तुत किया गया।

माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा द्वारा अनुदान की मांगों में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

तत्पश्चात् स्वास्थ्य विभाग के अनुदान की मांग के मूल प्रस्ताव पर वाद विवाद में निम्नांकित माननीय सदस्यों ने भाग लिया :–

1. श्री अजय कुमार सिंह, स०वि०स०
2. श्री विनोद नारायण झा, स०वि०स०
3. श्री ललित कुमार यादव, स०वि०स०
4. श्री सिद्धार्थ पटेल, स०वि०स०

(इस अवसर पर माननीय अध्यासी सदस्य श्री भूदेव चौधरी ने आसन ग्रहण किया।)

5. श्री मुकेश कुमार यादव, स०वि०स०
6. श्री देवेश कान्त सिंह, स०वि०स०
7. श्री फते बहादुर सिंह, स०वि०स०
8. श्री विनय कुमार चौधरी, स०वि०स०
9. श्री अरूण सिंह, स०वि०स०
10. श्री मुकेश कुमार रौशन, स०वि०स०
11. श्री संजय कुमार सिंह, स०वि०स०

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

12. श्री सुर्यकान्त पासवान, स०वि०स०
13. डॉ० सत्येन्द्र यादव, स०वि०स०
14. श्री अखतरूल ईमान, स०वि०स०
15. श्रीमती गायत्री देवी, स०वि०स०
16. श्रीमती मनोरमा देवी, स०वि०स०
17. श्रीमती दीपा कुमारी, स०वि०स०

तदुपरान्त माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, श्री मंगल पाण्डे द्वारा सरकार की ओर से वाद–विवाद का विस्तारपूर्वक उत्तर दिया गया।

इस दौरान विपक्ष के माननीय सदस्यगण सरकार के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन कर गये।

तत्पश्चात् माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा का कटौती प्रस्ताव सदन से अस्वीकृत हुआ।

तदुपरान्त स्वास्थ्य विभाग से संबंधित अनुदान की मांग का मूल प्रस्ताव सदन से स्वीकृत हुआ।

[8] निवेदन :–

आसन से घोषणा की गयी कि आज के लिए स्वीकृत कुल 43 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिए जायेगें।

तत्पश्चात् सभा की बैठक शुक्रवार, दिनांक–21 मार्च, 2025 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित हुई।

पटना
दिनांक–20.03.2025

ख्याति सिंह
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।